पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 823/अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक : 5-05-2007

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 23.04.2007 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:

१.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
२.	डॉ ओ.पी.वर्मा	सदस्य
३.	डॉ आर.एन.मिश्र	सदस्य
४.	डॉ एम.एम.हम्बर्डे	सदस्य
५.	डॉ.युगल भारती	सदस्य
६.	डॉ जी.बी.गुप्ता	सदस्य
७.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
८.	प्रो.रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
९.	श्री राहुल महावार	सदस्य
१०.	श्री के.के.चंद्राकर, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.03.2007 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ६.३.२००७ के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ संपुष्टि प्रदान की गई-

(१).डॉ जी.बी.गुप्ता कार्यपरिषद सदस्य के पत्र दिनांक १२.२.२००७ में उल्लेखित स्वर्ण पदक के साथ प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रारुप के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रमाण पत्र में दानदाता के नाम का उल्लेख एवं जिस उद्देश्य से स्वर्ण पदक दिया जा रहा है उसका उल्लेख कर प्रमाण-पत्र संशोधित किया जावे। तद्नुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जावे। यदि पूर्व वर्षों के छात्र संशोधित प्रमाण पत्र के अनुसार इस हेतु आवेदन करते है तो उन्हें भी निःशुल्क संशोधित प्रारुप के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जावे।

(२)डॉ जी.बी.गुप्ता, कार्यपरिषद सदस्य के द्वारा मूल्यांकन के संबंध में प्राप्त पत्र के संदर्भ में कुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन के लिये अपनायी जा रही प्रक्रिया से अवगत कराया। यह भी जानकारी में लाया कि कुछ विषयों के जिसमें लिखित उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या अधिक है तथा शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है ऐसे लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाहर कराया गया है ताकि निर्धारित अवधि में परिणाम घोषित किया जा सके।

(३)कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ६.३.२००७ के कार्यवृत्त में अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक ११ के बाद मुद्रित अन्य निर्णय के प्रथम बिंदु में आय एवं व्यय के स्थान पर कैश-बुक शब्द शामिल किया जावे।

(कार्यवाही- परीक्षा विभाग, गोपनीय विभाग एवं वित्त विभाग)

2. डॉ. किरण दुखु, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, फिजियोलाजी विभाग शास. दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय प्रकरण पर विस्तृत टीप प्रस्तुत नहीं है अतः प्रकरण आगामी बैठक में बिंदुवार जानकारी के साथ प्रस्तुत की जावे।

(कार्यवाही- गोपनीय विभाग)

3. उत्तर–पुस्तिका एवं पर्ण के अंकों में अंतर पाये जाने पर प्राध्यापकों को चेतावनी जारी करने बाबत ।

निर्णय प्रकरण पर विस्तृत टीप प्रस्तुत नहीं है अतः प्रकरण आगामी बैठक में बिंदुवार जानकारी के साथ प्रस्तुत की जावे।

(कार्यवाही- गोपनीय विभाग)

4. मानव–विज्ञान अध्ययनशाला अंतर्गत स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है । उक्त स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम हेतु वर्तमान में इंप्रेस्ट स्वीकृत नहीं है । अतः स्ववित्तीय मद से इंप्रेस्ट राशि रू. 3000/– स्वीकृति हेतु विचार करना ।

निर्णय स्ववित्तीय मद से इंप्रेस्ट राशि की स्वीकृति के लिये कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही- अध्यक्ष, मानवविज्ञान अध्ययन शाला एवं वित्त विभाग)

5. रायपुर होमियोपैथिक महाविद्यालय, रायपुर के प्राचार्य को पदच्युत कर दिये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय प्रकरण महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु उल्लेखित सेवा शर्तों का पालन के संबंध में है। अतः निर्णय लिया गया कि सभी महाविद्यालयों की सूची, जो संबद्धता एवं सेवा शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, बिंदुवार टीप अकादमी विभाग द्वारा बनाया जावे जिसका परीक्षण संचालक महाविद्यालय विकास परिषद करेंगे। तद्पश्चात् विस्तृत टीप आगामी कार्यवाही के पूर्व कुलपति से अनुमोदन कराया जावे। संबद्धता एवं महाविद्यालय के सेवा शर्तों के पालन के संबंध में विचार करने हेतु कार्यपरिषद की शीघ्र बैठक बुलाई जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

6. श्री क्यू. फजली (निलंबित) के प्रकरण में जाँच समिति की अनुशंसित प्रतिवेदन पर विचार करना ।

निर्णय प्रकरण पर जांच समिति की अनुशंसा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जावे और विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ की जावे। तीन वर्षों में जारी किये गये धनादेश, जो संबंधित बैंक से भुगतान हेतु भेजी गई है, की भी जांच कराई जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

7. सामुदायिक भवन के व्यवस्था के संचालन एवं आबंटन तथा किराया तय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- (१)सामुदायिक भवन का संचालन एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रभारी के द्वारा किया जावे। (२) सामुदयिक भवन के विकास एवं सुधार के लिये एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया जावे जिसमें प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे (३) भवन का किराया रूपये ४०००/- प्रति दिन होगा इसके अतिरिक्त रू. १०००/- सफाई व्यवस्था के लिये एवं बिजली व्यय अतिरिक्त लिया जावे। (४) सामुदायिक भवन का आबंटन विश्वविद्यालय शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं शैक्षणिक कार्य से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के लिये किया जावे। (५)कुलपति की अनुमति से विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भवन का किराया निर्धारित दर से आधा लिया जावे परन्तु सफाई एवं बिजली व्यय यथावत देना पड़ेगा।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से

8. अध्यादेश कमांक–4 में सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक–शारीरिक शिक्षा के पदों का कैरियर एडवांसमेंट योजना के लिए आवश्यक अर्हता को सम्मिलित किये जाने के संबंध में विचार करना।

संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ ३/१/९४ दिनांक १९.१०.२००६ में उल्लेखित अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक ४ में संशोधित नियम सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग एवं अकादमिक विभाग)

श्री आर.पी. वर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की सेवा अवधि दिनांक 06.04.07 से एक वर्ष के लिए वृद्धि किये जाने की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में कार्यपरिषद सदस्य डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद सदस्य डॉ.रमेन्द्र नाथ मिश्र ने बी.एड. पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में जो सुझाव प्रेषित किये है उसका परीक्षण कर कुलपति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जावे। कुलपति जी ने सदस्यों को जानकारी दी कि बी.एड. पाठ्यक्रम के संबंध में दायर याचिका एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनरीक्षण के लिये प्रकरण पुनः माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(कार्यवाही- परीक्षा एवं अकादमिक विभाग)

रायपुर होमियोपैथी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुण्ड, रायपुर में संचालित बी.एच.एम.एस. पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश बंद करने संबंधी केन्द्रीय कौंसिल ऑफ होमियोपैथी, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के संबंध में विचार करना ।

निर्णय केन्द्रीय कौंसिल ऑफ होमियोपैथी, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के अनुसार कार्यवाही करने हेतु महाविद्यालय को सूचित किया जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मांढर, माता कर्मा महाविद्यालय, गुण्डरदेही, बी.आई.आई.टी., दुर्ग, श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई में परिनियम–28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय निम्नलिखित महाविद्यालयों के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया (१) कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई में प्राचार्य पद पर डॉ श्रीमती एम.ई.पाटलिया एवं (२) नेताजी सुभाष महाविद्यालय बेलभाटा अभनपुर में प्राचार्य पद पर श्रद्धा शर्मा । शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई, माता कर्मा कला एवं वाणिज्य महा.दुर्ग, जयहिन्द महाविद्यालय महासमुंद, शिक्षा स्नातक महा.मांढर, श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महा.दुर्ग, ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर, राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एण्ड आई.टी., सी.एम.नर्सिंग इंस्टीटयूट नेहरुनगर एवं बी.आई.आई.टी. महाविद्यालय दुर्ग में कोई भी उम्मीदवार प्राचार्य पद के लिये योग्य नहीं पाये जाने पर फिर से पद को विज्ञापित किये जाने की अनुशंसा की गई।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

कु. शिखा विश्वकर्मा का पत्र दिनांक 16.03.2007 पर विचार करना (पत्र संलग्न)।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्रा ने अपने पत्र में कुलपति के ऊपर गंभीर आक्षेप लगाये है अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये विधिक सलाह लेकर छात्रा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

14. श्री एच.एल. पाण्डे, कक्ष अधिकारी, से प्राप्त पत्र दिनांक 22.04.2004 पर विचार करना ।

निर्णय नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति की गई।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

15. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2007 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक २०.४.२००७ का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

१६. अंकेक्षण प्रतिवेदन २००५-०६ में उत्थादित आपत्तियों की सूचना ग्रहण करना और निराकरण हेतु अधिकृत करना।

निर्णय आपत्तियों को संज्ञान में लिया गया और कुलसचिव को इनके त्वरित निराकरण के लिये अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

१७. बस्तर परिसर के लिये पूर्व में कार्यपरिषद के द्वारा सहायक कुलसचिव के पद को अपग्रेड करने विषयक।

निर्णय बस्तर परिसर के लिये पूर्व में कार्यपरिषद के द्वारा सहायक कुलसचिव के पद को अपग्रेड करते हुये उपकुलसचिव के पद स्वीकृत करने के संबंध में अनुशंसा की गई थी। कार्यपरिषद ने बस्तर परिसर जगदलपुर से जुडे १६ महाविद्यालयों के शैक्षणिक विकास एवं वहां अध्ययन करने वाले छात्रों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिये सहायक कुलसचिव पद को अपग्रेड करते हुये उपकुलसचिव पद करने हेतु पूर्व निर्णय या त्वरित कार्यवाही हेतु पुनः शासन को पत्र लिखा जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन एवं अकादमिक विभाग)

१८. निजी महाविद्यालयों में परिनियम २८ के तहत् प्राध्यापकों की नियुक्ति करने विषयक।

निर्णय निजी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिये विज्ञापन के प्रारुप समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पहले महाविद्यालयों को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद से इसका अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों की सूची अकादमिक विभाग को प्राप्त हो चुकी है और जिन्होंने सभी प्रकार की औपचारिकताएँ पूरी कर ली है उन महाविद्यालयों में ३० दिनों के भीतर प्राध्यापकों की नियुक्ति करा ली जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

१९. रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी में बी.ई. सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र, अनुक्रमाक ५०५२०३ के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रश्न-पत्रों के टीचर एसेसमेंट में त्रूटिवश शून्य अंक प्रदान करने विषयक प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय कुलपति ने परिषद के सभी सदस्यों को प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। टीचर एसेसमेंट में की गई लापरवाही के संबंध में प्राचार्य, आर.आई.टी. से जानकारी प्राप्त की गई। प्राचार्य ने जानकारी दी कि संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और वे नौकरी छोड़कर चले गये है। निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय ने जो अंक प्रदान किया है उसे मान्य किया जावे एवं समस्त विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर सूचित किया जावे कि संबंधित शिक्षक को ५ वर्ष तक मूल्यांकन/परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित किया जावे।

(कार्यवाही- गोपनीय विभाग)

आसंदी को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसंचिव

कुलपति

रायपुर, दिनांक : 5.04.2007

क्रमांक 824 /अका./का.प./2007

प्रतिलिपि

महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से १५ दिवस के भीतर कुलसचिव को सूचित करने का कष्ट करें।
जनसंपर्क अधिकारी/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,/ विभागीय अधिकारी
वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षक,
कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)